

**कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// प्रारंभिक अधिसूचना //**

क्रमांक/ 8125 / भू-अर्जन/2020

राजनांदगांव, दिनांक 29/ 12 /2020

क्रमांक 12/अ-82/2017-18, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

--: अनुसूची :-

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार			धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजनांदगांव	अं. चौकी	ग्राम- विहरीखुर्द प.ह.नं. 22	325	0.020	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु।
योग:-			01	0.020 हे०		

- 2- यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितरुद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 4- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- 5- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन आंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- 6- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(Handwritten Signature)


//2//

क्रमांक/ 8185 /भू-अर्जन/2020

राजनांदगांव, दिनांक 29/ 12/2020

प्रतिलिपि :-

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
 - 2- इसकी दो प्रति- उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय प्रकाशन मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
 - 3- इसकी एक प्रति- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्त अधिसूचना/घोषणा का प्रकाशन शासन के निर्देशानुसार स्थानीय दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित करें। उक्त अधिसूचना/घोषणा के प्रकाशन के तत्काल बाद संबंधित छत्तीसगढ़ राजपत्र एवं दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मोहला के न्यायालय में संस्थित भू-अर्जन प्रकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
 - 4- इसकी एक प्रति- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 5- इसकी 14 प्रतियां- तहसीलदार, अं.चौकी को प्रकाशन के तामिली एवं प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित।
(प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक दो प्रतियों का सेट)
कृपया उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना/घोषणा में उल्लेखित सरकार के आशय/प्रयोजन से संबंधित ग्राम में मुनादी द्वारा ढोल पिटवाकर मौके के दो गवाहों के सम्मुख निम्न स्थान पर एक प्रति चस्पा करें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला को भिजवाने का कष्ट करें।
- 1- कलेक्टर कार्यालय, राजनांदगांव का नोटिस बोर्ड।
 - 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय, मोहला ।
 - 3- तहसील कार्यालय, अं.चौकी का नोटिस बोर्ड।
 - 4- संबंधित थाना, अं.चौकी का नोटिस बोर्ड।
 - 5- संबंधित ग्राम पंचायत बिहरीकला के कार्यालय का नोटिस बोर्ड।
 - 6- संबंधित, ग्राम बिहरीखुर्द का आम चौराहा या प्रसिद्ध स्थान।
 - 7- संबंधित ग्राम बिहरीखुर्द स्थित प्रश्नगत भूमि का मौका।


(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


28/12/2020

**कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// प्रारंभिक अधिसूचना //**

क्रमांक/ 8186 / भू-अर्जन/2020

राजनांदगांव, दिनांक 29/ 12 /2020

क्रमांक 11/अ-82/2017-18, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

--: अनुसूची :-

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजनांदगांव	अं. चौकी	ग्राम- घोरदा प.ह.नं. 11	54/4	0.081	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु।
			54/8	0.101		
			48/4	0.081		
योग:-			03	0.263 हे०		

- 2- यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- 3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 4- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- 5- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- 6- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग




//2//

क्रमांक/ 2186 /भू-अर्जन/2020
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव, दिनांक 29/ 12/2020

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
 - 2- इसकी दो प्रति- उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय प्रकाशन मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
 - 3- इसकी एक प्रति- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उक्त अधिसूचना/घोषणा का प्रकाशन शासन के निर्देशानुसार स्थानीय दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में करवाना सुनिश्चित करें। उक्त अधिसूचना/घोषणा के प्रकाशन के तत्काल बाद संबंधित छत्तीसगढ़ राजपत्र एवं दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मोहला के न्यायालय में संस्थित भू-अर्जन प्रकरण में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
 - 4- इसकी एक प्रति- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 5- इसकी 14 प्रतियां- तहसीलदार, अं.चौकी को प्रकाशन के तामिली एवं प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित।
(प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक दो प्रतियों का सेट)
कृपया उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना/घोषणा में उल्लेखित सरकार के आशय/प्रयोजन से संबंधित ग्राम में मुनादी द्वारा ढोल पिटवाकर मौके के दो गवाहों के सम्मुख निम्न स्थान पर एक प्रति चस्पा करें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला को भिजवाने का कष्ट करें।
- 1- कलेक्टर कार्यालय, राजनांदगांव का नोटिस बोर्ड।
 - 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय, मोहला ।
 - 3- तहसील कार्यालय, अं.चौकी का नोटिस बोर्ड।
 - 4- संबंधित थाना, अं.चौकी का नोटिस बोर्ड।
 - 5- संबंधित ग्राम पंचायत गौलीटोला के कार्यालय का नोटिस बोर्ड।
 - 6- संबंधित, ग्राम घोरदा का आम चौराहा या प्रसिद्ध स्थान।
 - 7- संबंधित ग्राम घोरदा स्थित प्रश्नगत भूमि का मौका।


(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


28/12/2020